न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 5/2017

छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी रिंझीया तह0 मांगरोल हाल निवासी अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा

......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. महावीर पुत्र रामप्रताप
3. सूरती बाई पुत्री रामप्रताप
4. मनभर बाई पुत्री रामप्रताप
5. पार्वती बाई पुत्री रामप्रताप
6. मोहनलाल पुत्र धन्नालाल

(2 से 6) जातियान धाकड निवासीगण रिंझीया तह0 मांगरोल

....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनाकः 19.06.2017

निर्णय दिनांक : 09.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की आराजी हाल खाता संख्या 34 खसरा नं0 50 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 81 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 123 रकबा 2.02 है0 खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0 खसरा नं0 226 रकबा 0.34 है0 खसरा नं0 419 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 रकबा 5.48 है0 हाल जमाबंदी सम्वत 2070–73 में वाके माल रिंझीया तह0 मांगरोल में खाते दर्ज हो रही है। उक्त आराजी के सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 27 रकबा 12 बीघा खसरा नं0 61 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 63 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 166 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं0 305 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा थे जिनका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2036–40 में हो रहा है। सेटलमेंट कार्मिको ने सहवन से प्रार्थी का खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0 साबिक खसरा नं0 63 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा का रकबा 0.11 है0 कमी दर्ज किया है। जो साबिक रकबा की तुलना में 1.16 है0 दर्ज किया जाना

पर था। इसी प्रकार सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के खाते का साबिक खसरा नं0 27 रकबा 12 बीघा का साबिक नक्शा जिस स्थान पर था उक्त नक्शे में अप्रार्थी कम 2 ता 6 के खाते के खसरा नम्बर 54/557 व खसरा नं0 54/558 दर्ज कर दिये गये। जिसका प्रार्थीगण के नक्शे साबिक खसरा नं0 27 से कोई वास्ता नही है। एवं साबिक खसरा नं0 28 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा का नक्शा व स्थान पर खसरा नं0 54/557 व खसरा नं0 54/558 दर्ज किये जाने चाहिए थे क्योकि उक्त दोनो नम्बर अप्रार्थी कम 2 ता 6 की खातेदारी के है। अतः प्रार्थी के ग्राम रिंझीया के हाल खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0 का साबिक रकबे की तुलना में कमी रकबा 0.11 है0 की पूर्ति कर रकबा 1.16 है0 दर्ज किया जावे तथा हाल खसरा नं0 54/557 व 54/558 का नक्शा इन्द्राज साबिक नक्शे अनुसार व प्रार्थी के खाते के खसरा नं0 का इन्द्राज उक्त स्थान पर साबिक खसरा नं0 27 अनुसार सही सही दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्म रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/13 दिनांक 09.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी रिंझीया के नाम सेटलमेंट पूर्व जमाबंदी सम्वत 2036–39 में साबिक खसरा नं0 26/12 बीघा, 61/14 बीघा 2 बिस्वा, 63/7 बीघा 4 बिस्वा, 166/3 बीघा 14 बिस्वा, 305/3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी। बाद सेटलमेंट मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044--63 हाल खसरा नं0 50 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 81 रकबा 0.20 है0 खसरा नं0 123 रकबा 2.02 है0 खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0 खसरा नं0 226 रकबा 0.34 है0 खसरा नं0 419 रकबा 0.50 है0 कुल किता 6 रकबा 5.48 है0 दर्ज किया गया है। जो खाते में सेटलमेंट से पूर्व दर्ज रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा की तुलना में 6.37 है0 बनता है। हाल खसरा नं0 150 का रकबा 1.05 है0 दर्ज किया गया है। जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नं0 69 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा से बनाया गया है। खसरा नं0 150 का रकबा गत साबिक रकबे की तुलना में 1.16 है0 दर्ज होना चाहिए था सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा न0 150 का रकबा 0.11 है0 कम दर्ज किया गया है। खसरा नं0 150 के आस पास के किसी खसरा नम्बरान का रकबा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत रकबे की तुलना में बढा हुआ नही पाया गया है अतः खसरा नं0 150 में हुयी कमी रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नही है।

छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड के खाते में दर्ज खसरा नं0 50 का रकबा 1.37 है0 में दर्ज है। जबकि खसरा नं0 50 का रकबा लगभग 0.44 है0 का बनाया गया है। हाल खसरा नं0 50 के सेटलमेंट पूर्व के साबिक खसरा नं0 27 को देखने व अवलोकन से पता चलता है कि साबिक खसरा नं0 27 की भूमि

के नक्शे मे दर्ज खसरा नं. 50, 54/558, 54/557, 81 मे आती है। अतः खसरा नं. 50 के नक्शे मे खसरा नं. 54/558, 54/557 के सम्पूर्ण नक्शे को शामिल करते हुए नक्शे को दूरस्त किया जा सकता है। वर्तमान मे खसरा नं. 54/558 रकबा 0.45 है0 मोहनलाल पुत्र धन्ना लाल जाति धाकड निवासी रिझींया के खसरा नं. 54/557 रकबा 0.45 है0, महावीर पुत्र रामप्रताप व सुरती बाई, मनभर बाई, पार्वती बाई पुत्रियां रामप्रताप जाति धाकड निवासी रिझींया के खाते मे दर्ज है। खसरा नं. 54/557 रकबा 0.45 है0 व 54/558 रकबा 0.45 है0 की तरमीम मौका स्थिति अनुसार खसरा नं. 54 के उत्तरी ओर नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार की जा सकती है। खसरा नं. 54 के नक्शे की रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 1.86 है0 आता है जबकि राजस्व रेकार्ड में खसरा नं0 54 का रकबा 0.96 है0 उदयाल पुत्र औंकार जाति धाकड सा0देह के नाम दर्ज है। रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम रिंझीया के हाल खसरा नं0 150 रकबा 1.05 है0 का साबिक रकबे की तुलना में कमी रकबा 0.11 है0 की पूर्ति कर रकबा 1.16 है0 दर्ज किये जाने हेतु तथा हाल खसरा नं0 54/557 व 54/558 का नक्शा इन्द्राज साबिक नक्शे अनुसार व प्रार्थी के खाते के खसरा नम्बर का इन्द्राज उक्त स्थान पर साबिक खसरा नं0 27 अनुसार सही सही दर्ज किये जाने हेत निवेदन किया है। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट के आधार पर खसरा नं0 150 का रकबा 1.05 है0 दर्ज किया गया है। जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नं0 69 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा से बनाया गया है। खसरा नं0 150 का रकबा गत साबिक रकबे की तुलना में 1.16 है0 दर्ज होना चाहिए था सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा नं0 150 का रकबा 0.11 है0 कम दर्ज किया गया है। खसरा नं0 150 के आस पास के किसी खसरा नम्बरान का रकबा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत रकबे की तुलना में बढा हुआ नही पाया गया है और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नं0 से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है साथ ही प्रार्थी ने अपने राजस्व नक्शे को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है जिसे तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जारेला मजमेंआम में सुनाया गया।